कं०नं० 17 18 060 / 01.12.2017

पत्र संख्या– आई0टी0 रिफण्ड़ / 2017–18 / 1433 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0–अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: दिसम्बर, 01 / 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा परिपत्र संख्या–17 / 17 / 2017–जी0एस0टी0 दिनांक 15.11.2017 द्वारा जीरो रेटेड पूर्तियों के सम्बंध में रिफण्ड़ के दावों को मेनुअली दाखिल करने तथा उनके निस्तारण के सम्बंध में निर्गत प0सं0 1067 / एडी0कमि0 (जी0एस0टी0–अनुभाग) / वाणिज्य कर मुख्यालय दिनांक 28 नवम्बर 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में व्यापारी के द्वारा दिये गये मैनुअल आवेदन की Software से रसीद जनरेट करने तथा रसीद प्रदान करने हेतु निम्न प्रकिया निर्धारित की जाती है:–

प्रत्येक लोकेशन पर Local Administrator द्वारा किये जाने वाले कार्य:–

(i) प्रत्येक लोकेशन पर पूर्व से नामित Local Administrator द्वारा उस लोकेशन पर स्थित प्रत्येक कर निर्धारण कार्यालय में रिफण्ड की रसीद जनरेट करने के लिये एक User Create किया जायेगा। रिफण्ड रसीद जनरेट करने के लिये प्रत्येक कर निर्धारण कार्यालय में एक कर्मचारी को नामित किया जायेगा। रिफण्ड आवेदन हेतु रसीद जनरेट करने का कार्य कर निर्धारण कार्यालय में ही किया जायेगा।

(ii) User Create करने के लिये Local Administrator द्वारा विभागीय पोर्टल comtax.up.nic.in में विभागीय सर्विसेज के अर्न्तगत रिफण्ड माड्यूल के लिंक पर क्लिक किया जायेगा। इसके पश्चात Dropdown से सम्बंधित जोन सम्भाग तथा लोकेशन का चयन करते हुए व्यास सेन्ट्रल में उपयोग किये जा रहे user ID तथा Password से लॉगिन किया जायेगा।

(iii) लॉगिन करने के पश्चात Create user के link पर क्लिक करके सम्बंधित कार्मिक का Employee ID अंकित किया जायेगा। Employee ID निर्गत करने पर कार्मिक का विवरण EIS Module से स्वतः Publish हो जायेगा। यदि किसी कर्मचारी का विवरण EIS में अंकित नहीं है तो उस स्थिति में Employee ID के पश्चात समस्त फील्ड Local Administrator द्वारा अंकित की जायेगी।

(iv) User Create करने के लिये निर्धारित Entry Field में समस्त विवरण को अंकित कर Submit करने पर सम्बंधित कर्मचारी का लॉगिन Create हो जायेगा जिसके माध्यम से वह Refund आवेदन की रसीद जनरेट करने हेतु लॉगिन कर सकता है।

रिफण्ड आवेदन की रसीद प्राप्त करने हेतु कर निर्धारण कार्यालय स्तर पर प्रकिया:–

(i) रिफण्ड आवेदन की रसीद जनरेट करने के पूर्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Endorse कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि कर निर्धारण अधिकारी अनुपस्थित हैं तो सेक्टर के अन्य अधिकारी द्वारा आवेदन Endorse किया जायेगा।

(ii) Refund आवेदन से सम्बंधित रसीद को जनरेट करने के लिये जिन यूजर को Create किया गया है उनके द्वारा सम्बंधित Login Page पर जाकर जोन, सम्भाग तथा खण्ड का चयन करते हुए निर्धारित User ID तथा Password से लॉगिन किया जायेगा।

(iii) Login करने के पश्चात कर्मचारी द्वारा रिफण्ड आवेदन के लिंक पर क्लिक करने पर सम्बंधित Entry Page स्क्रीन पर उपलब्ध हो जायेगा।

(iv) Refund आवेदन की ऑनलाइन Entry हेतु सर्वप्रथम व्यापारी का GSTIN अंकित किया जायेगा। GSTIN अंकित करने पर सम्बंधित विवरण स्वतः अंकित हो जायेगा इसके पश्चात Refund से सम्बंधित अवधि, रिफण्ड हेतु आवेदनकर्ता का नाम, रिफण्ड़ का प्रकार तथा CGST, IGST एवं SGST में अलग–अलग रिफण्ड़ हेतु आवेदित धनराशि का अंकन करने के पश्चात Submit करने पर व्यापारी के रिफण्ड़ आवेदन के विरूद्ध यूनीक Acknowledgement Number जनरेट हो जायेगा तथा Print के बटन पर क्लिक करने पर जनरेट हो जायेगी। सन्दर्भित प्रकिया से केवल जी0एस0टी0 से सम्बंधित रिफण्ड की रसीद जनरेट की जायेगी। वैट सम्बंधी रिफण्ड की रसीद उक्त प्रकिया से जनरेट नहीं की जायेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0),वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।